

संख्या ३२



प्रवर्ग

मन्त्रालय

बिहार विधान सभा वादवृत्त

मुख्यमंत्री रिपोर्ट

बुधवार, तिस्र १४ मार्च, १९५१।

The Bihar Legislative Assembly Debates OFFICIAL REPORT

Wednesday, the 14th March, 1951.

नवीन राष्ट्रीय पुस्तकालय, बिहार,

पटना,

१९५२

मूल्य—६ बा०।

Price—4 annas 6]

बिहार विधान सभा वादवृत्त

बुधवार, तिथि ९ मई, १९५१

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि ९ मई, १९५१ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर ।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

माननीय अध्यक्ष—आज के सभी अल्प-सूचना प्रश्न माननीय राजस्व मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री के नाम से हों । माननीय राजस्व मंत्री ने मुझे तार द्वारा सूचित किया है कि वे समय पर न आ सकेंगे और इसलिए उन्होंने प्रार्थना की है कि उनके सभी प्रश्न आज स्थगित कर दिये जायें । मैं उनके सभी अल्पसूचना तथा साधारण प्रश्नों को कल के लिए स्थगित कर देता हूँ ।

तारांकित प्रश्नोत्तर ।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

SECRET OF RICE.

A *115. **Shri RAJKISHORE SINGH** : Will the Hon'ble the Minister in charge of the Supply and Price Control Department be pleased to state—

(a) whether the attention of the Government has been drawn to an article published in a weekly paper of Ranchi, dated the 25th July, 1950 at page 3 under the caption—

“सरकारी रुप से गुलछरें, मानभूम का एक कलुषित प्रकरण, चावल का भीतरी रहस्य”;

(b) if the answer to clause (a) be in the affirmative, the action Government have taken in this matter?

Hon'ble Shri JAGLAL CHAUDHURY : (a) The answer is in the affirmative.

(b) The facts have not been correctly reported. Advance was paid to the purchasing agents against purchase reports after necessary verification. This verification could not naturally be infallible. To ensure against such errors security deposits had been taken from purchasing agents. At the time of making despatches shortages were found, which have all been made up by the agents, except a quantity of about 5,000 maunds of rice, which is still outstanding. The licenses of the purchasing agents concerned have been cancelled,

A—Postponed from the 23rd January and 27th April 1951 (as a special case).

(ख) सरकार ने उक्त समाचार को जांच कराने पर अभियोगों को निर्मूल पाया।

श्री देवकी नन्दन प्रसाद—जांच करनेवालों की क्या रिपोर्ट थी ?

माननीय श्री जगलाल चाधरी—पूणिया में सप्लाई इन्स्पेक्टर के ६ रिक्त स्थानों में नियुक्ति करने के लिए पूणिया के जिलाधीश ने एक बोर्ड बनाया जिसने उम्मीदवारों की परीक्षा ली। उस परीक्षा में श्री उमापाते-पाल का स्थान पांचवा और श्री नागेश्वर मिश्र का छठा रहा। किन्तु इसी बीच में एक प्रद्यूत सप्लाई इन्स्पेक्टर श्री गुरुप्रसाद यादव की पुनियुक्ति हो जाने से पांच ही रिक्त स्थान रहे और परीक्षा में प्रथम से पांचवें आये हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई, और श्री नागेश्वर मिश्र की नियुक्ति नहीं हो सकी। इन नियुक्तियों में पूणिया के जिलाधीश श्री पी० के० जे० मेनन पर किसी व्यक्तिविशेष का प्रभाव नहीं था।

किन्तु फिर सप्लाई इन्स्पेक्टर के नये रिक्त स्थान में हाल में श्री नागेश्वर मिश्र की नियुक्ति हो गई है।

TRANSFER OF WINE SHOP FROM CHITKOHRA TO DHIRACHAK.

B*1022. Shri SHIVNANDAN RAM : Will the Hon'ble the Minister in charge of Excise Department be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the wine and toddy shop at present located in Chitkohra Bazar, P.O. Anisabad, Patna, with effect from the 1st April, 1951, is being shifted to village Dhirachak, P.O. Anisabad, Patna, which is a densely populated area;

(b) whether it is a fact that there is a great resentment in the public on this account;

(c) whether it is a fact that Ganga Prasad, the owner of the wine shop and the men of the zamindar of the area threatened the public of the said village and wanted to construct the shop forcibly;

(d) whether it is a fact that there is possibility of breach of peace in the said village Dhirachak on this account;

(e) if the answer to clauses (a), (b), (c) and (d) be in the affirmative, the action Government propose to take in the matter?

Shri SUKHLAL SINGH : (a) It is a fact that the wine and toddy shop located in Chitkohra Bazar was going to be shifted to village Dhirachak in Kotwali P.-S. but on local inspection it was subsequently found to be objectionable in view of the fact that it was situated just by the side of a public grave yard. It was not considered desirable to have a liquor shop so close to the grave yard.

(b) Since the shops are now going to be shifted to another alternative side free from objection which is not in village Dhira-chak, the question of resentment in the public of the said village does not arise.

(c) Now the question does not arise.

(d) Now the question does not arise.

(e) Now the question does not arise.

बिहार में टेकनिकल शिक्षा-समिति ।

F*१०६६। श्री राधा कान्त चौधरी—क्या माननीय मंत्री, विकास विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या इस राज में कोई टेकनिकल एजुकेशन कमिटी है, अगर हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं और कमिटी कब और किस निमित्त बनाई गई थी, क्या कमिटी की अभी तक कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है, अगर नहीं, तो क्यों ;

(ख) शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये सरकार ने कौन-सा उपाय किया है, अगर नहीं, तो क्यों ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी—(क) इस राज्य में एक टेकनिकल एजुकेशन कमिटी है जिसके निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य हैं :—

१। श्री शारंगधर सिन्हा, स० वि० स०—सभापति ।

२। श्री फूलन प्रसाद वर्मा—सदस्य ।

३। श्री एम०एन० सेनगुप्ता, प्रिन्सपल, इनजिनियरिंग कॉलेज, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी।

४। श्री हरिनाथ मिश्रा, स० वि० स० ।

५। श्री मुरली मनोहर प्रसाद, स० वि० स० ।

६। श्री पुरुषोत्तम चौहान, स० वि० स० ।

७। श्री एच० बी० चन्दा, स० वि० प० ।

८। प्रिन्सपल, डी० एल० देशपाण्डे, सिन्दरी कॉलेज ।

९। डा० के० आर० कृष्णास्वामी, डायरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज, बिहार ।

कमिटी १६ मार्च १९५१ को बनी थी । कमिटी का कार्य राज्य में ऊँची टेकनिकल शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकताओं का ध्यान करना तथा वर्तमान टेकनिकल संस्थाओं में उन्नति के लिये अनुरोध करना और आवश्यकताओं के अनुसार नई टेकनिकल संस्था खोलना है । कमिटी ने अभी तक कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं दी है ।

F—Postponed from the 24th April, 1951.